

कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर।

पत्रांक: 227 / जि0पं0/निर्माण/2021-22

दिनांक: 4-8-2021

(अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना)

सरकारी गजट, उ0प्र0 सरकार पंचायती राज अनुभाग-2 के सं0-1425/33-2-2020-80 जी0-2000 लखनऊ 14 जुलाई 2020 के अनुसार समस्त पंजीकृत ठेकेदारों से जिला पंचायत बिजनौर द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 01 निर्माण कार्य की ई-निविदा दिनांक 05-08-2021 से दिनांक 11-08-2021 की सांय 05:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जिनकी तकनीकी बिड निविदा समिति द्वारा दिनांक 12-08-2021 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यालय अवधि में कार्य समाप्त तक जिला पंचायत में खोली जायेगी। निविदा (www.etender.up.nic.in) पर उपलब्ध होगी। शासनादेश सं0-1/2018/3070/78-2-2018/42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03 जनवरी, 2018 में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में निविदादाता द्वारा ई-टेंडरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.के माध्यम से इंडियन (इलाहाबाद) बैंक बिजनौर में संचालित "जिला निधि जिला पंचायत" के खाता संख्या-20234412089 आई.एफ.एस.सी. कोड-IDIB000B817 में जमा किया जायेगा। निविदा शुल्क जमा के प्रमाण हेतु यू0टी0आर0 नम्बर की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ स्कैन करनी अनिवार्य होगी, निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों एवं धरोहर धनराशि (EMD) सम्बंधित डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आडर्स की स्कैन प्रति अथवा प्रतिभूति प्रमाण पत्र विभाग के पक्ष में बंधक कराने पर प्राप्त ट्रान्जेक्शन नम्बर को निविदा के समय पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये समस्त मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जिला पंचायत बिजनौर में जमा करने होंगे, निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति में निहित होगा। कार्य का विस्तृत विवरण एवं शेष शर्तें जनपद बिजनौर को वेब-साईट (<http://biinor.nic.in>) पर अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत बिजनौर में देखी जा सकती है।

- (1) निविदा स्वीकृति के उपरान्त श्रम विभाग में कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- (2) निविदादाताओं द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0-622/33-12-2012-2 आडिट/08 दिनांक 08-06-2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम/कम दर प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर एक प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर परफोमेंस गारन्टी धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (3) कार्य निविदा की अनुमानित लागत में सभी कर सम्मिलित है।
- (4) अन्य राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों की न्यूनतम निविदा प्राप्त होने की दशा में सम्बंधित को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से जिला पंचायत, बिजनौर में पंजीकरण कराने हेतु अपने प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जमानत की धनराशि 02 प्रतिशत	निविदा जी. एस.टी. 18 प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	वि0खण्ड मौ0पुर देवमल में चक्कर मार्ग (वी0के0गार्डन) से मुस्तफाबाद संपर्क मार्ग पर सी0सी0 तथा नाली निर्माण कार्य।	2480522.00	49610.00	885.00	दा माह

अभियन्ता

जिला पंचायत, बिजनौर

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, बिजनौर

कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर।


पत्रांक: 227 / निर्माण / जि0पं0 / 2021-22

दिनांक: 4-8-2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- मा0 जनपद न्यायाधीश बिजनौर।
- 2- जिलाधिकारी महोदय बिजनौर।
- 3- पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर।

- 4- मुख्य विकास अधिकारी महोदय बिजनौर।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद बिजनौर।
- 6- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।
- 7- अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बिजनौर/नजीबाबाद/धामपुर।
- 8- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण बिजनौर।
- 9- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग बिजनौर।
- 10- अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-5 व 7 बिजनौर।
- 11- अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-4 बिजनौर।
- 12- अधिशासी अभियन्ता पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-1,5 व 6 नजीबाबाद।
- 13- जिला गन्ना अधिकारी बिजनौर।
- 14- उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद अमरोहा।
- 15- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को अपने जिला स्तर की वैबसाईट पर डालने हेतु।
- 16- समस्त विकास खण्ड अधिकारी जनपद बिजनौर।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बिजनौर